



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. रीनदयाल उपायद्याय भवन, लालकोठी, टोक रोड जयपुर-15)

क्रमांक : एफ-13 () उपा.आयो-II/ननिज/2023/

२९०

दिनांक

८/८/२३

सार्वजनिक सूचना

भूखण्ड सं. 107, शिवपुरी, झोटवाड़ा (श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री भंवर लाल शर्मा पुत्र श्री विजय लाल शर्मा को क्षेत्रफल 254.62 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवंटी की मृत्यु दिनांक 24.10.2019 को हो चुकी हैं। मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री भंवर लाल एवं श्री सीताराम शर्मा, श्री महावीर प्रसाद शर्मा, पुत्रान स्व0 श्री भंवर लाल शर्मा ने जरिए रजिओ हक्त्याग पत्र द्वारा आवेदक श्री सुरेश चन्द शर्मा के पक्ष में अपना हिस्सा हक्त्याग किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटोप्रति, मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति रजिओ हक्त्याग पत्र की फोटोप्रति एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर उक्त भूखण्ड का स्वयं के नाम से नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के आधार पर उक्त भूखण्ड श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री भंवर लाल के पक्ष में उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 254.62 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना-द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर